App - A
Crim - 1

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी(पाली)

हुकमसिंह पुत्र मोतीसिंहजी नि. मेवीकलां **बनाम** जबरसिंह पुत्र नाहरसिंह नि. भाणका वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व वाद **नम्बर** 23 **सन्** 2023

अन्तर्गत धारा प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17/7/2023	प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिए नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 21.8.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
	21.8.2023 वकील प्रार्थी उप० / अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शंकरमीणा व लालाराम मीणा एवं मानारामदिवासी की वकालतनामा पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित। सरकारी पेशकार उपस्थित। पीठासीन अधिकारी रानी से नहीं आये हैं पत्रावली दिनांक 5/9/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	(हस्ताक्षर) 21/8/2023
	5/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाम उपस्थित/पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पत्रावली दिनांक 20/9/23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	6/3/24 अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 के अधिवक्ता जबाव पेश करने हेतु समय चाहते है। अतः समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते अप्रार्थीगण संख्या ① के जबाव हेतु पत्रावली दिनांक 13.3.2024 को पेश हो. (हस्ताक्षर) 13/3/2024 अधिवक्ता प्रार्थी श्री भरत कुमार सोलंकी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 के अधिवक्ता श्री शंकरलाल मीणा उपस्थित. प्रार्थी ने न्यायालय में कुल वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 212 RT Act के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम नाणा तहसील देसूरी स्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमी खसरा नंबर 250 रकबा 3.64 हैक्टर भूमी में प्रार्थी का 29/108 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी कब्जा व कास्त शुदा है. अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का कब्जा काश्त शुदा आता है एवं अप्रार्थी संख्या 2 का 25/108 वां हिस्सा संयुक्त खातेदारी का कब्जा एवं कास्त शुदा आता है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2073-2076 से स्पष्ट प्रतीत होता है। उक्त भूमी का कानुनन कोई मिसल एवं बाउण्ड बंटवारा नही हुआ है। जिससे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी के बंट की आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में आवागमन के रास्ते में एवं सिंचाई आदि में अनावश्यक रूप से दखलंदाजी पैदा करते है। जिससे प्रार्थी अपने हिस्से की भूमी पर शांती पूर्वक काश्त नही कर सकता है। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी का बंट अलग करवाना चाहता है। वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक विभाजन हुए भूमी विशेष को अन्यत्र खुर्द बुर्द करने की धमकिया दे रहे है। यदि अप्रार्थीगण (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व ता... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी...
	संख्या 1 व 2 अनुचित तरीके से प्रार्थी को अपने हिस्से में काश्त करने से वंचित कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति रुपये पैसो में नहीं आंकी जा सकेगी। प्रार्थी के मूल वाद में प्रार्थी की सफलता के ठोस एवं पर्याप्त आधार एवं आसार है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी पर लागु होता है। मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा जब तक प्रार्थी का यह अस्थाई आदेश का आवेदन स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करावे की वाद ग्रस्त आराजी का कानूनन बांट मिस्ल एवं बाउण्ड्र बंटवारा नहीं हो जावे तब तक अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 मौजा ग्राम नाणा की में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 3.64 हेक्टर में प्रार्थी की खातेदारी हिस्से की भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त, आवाजाही में किसी प्रकार से कोई दखल नहीं करे, न किसी अन्य से ही करावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटीस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर जाहिर किया कि न्याय के तीनो सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति, के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। वाद ग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा हो चुका है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी अलग-अलग हिस्सो में बेनामी दस्तावेज निष्पादित करवाये है। अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी कृषि भूमी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी के विरुद्ध बेचान, हस्तान्तरण एवं खुर्द बुर्द करने का तथ्य छुपाया है। सह खातेदार के खिलाफ प्रार्थी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे। अप्रार्थी संख्या 2 का मौके पर कब्जा काश्त नही है। [हस्ताक्षर] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित है। उसके द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस समाप्त की गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने भूमी क्रय की है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया की पुरानी खातेदारी थी। प्रार्थी ने अप्रार्थी के भाई जालमसिंह की जमीन गलत तरीके से गलत फायदा उठाते हुए विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा दिया है। अप्रार्थी संख्या 2 दिलीप कुमार का कब्जा काश्त नही है। वाद पत्र में मात्र बटवाडे की रिलीफ है। सह खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा नही दी जा सकती है। दिलीप कुमार के नाम होने से बेनामी प्रोपर्टी है। हमने अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया एवं मुल वाद का भी अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि मुल वाद विभाजन का है। प्रार्थी की मात्र विभाजन की रिलीफ ही है। प्रार्थी क्रेता है जब कि अप्रार्थी पुश्तैनी रुप से खातेदार व काबिज है। प्रकरण में न्याय के तीनो सिद्धान्त प्रथम द्रष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपूर्णीय क्षति, प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नही है। सह खातेदारो के विरुद्ध स्थगन नही दिया जा सकता है। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर का साईटेशन भी निर्धारित है कि NO T.I can be granted against the recorded Khatedar। उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज योग्य प्रतित होता है। जिसे खारीज किया जाता है। [signature] सहायक कलेक्टर 13.3.2024 (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारी[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की तारी[illegible] में जारी हु[illegible]
	आदेश आज दिनांक 13·3·2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner